राजस्व वाद 93/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/133
सुगनाराम बनाम खेमाराम वगैरह

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार 1 जाकर मौजा कमेड़िया तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 70, 71, 38, 44 व मौजा के खेत खसरा नंबर 1313, 1312, 1309 में वादीगण संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 2 को वादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त पत्रांक 9 दिनांक 08.10.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, के निर्णय का एक भाग रहेगा। अतः निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

वादी संख्या 1 सुगनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 44 रकबा 7.9804 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 3.9902 हैक्टेयर उतरी भाग व मौजा डेह का खेत खसरा नंबर 1313 रकबा 6.1998 हैक्टेयर में से 4.6256 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

वादी संख्या 2 गोपाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 44 रकबा 7.9804 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 3.9902 हैक्टेयर दक्षिणी भाग व मौजा डेह का खेत खसरा नंबर 1309 रकबा 1.4569 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 1312 रकबा 1.5945 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 1313 रकबा 6.1998 हैक्टेयर में से 1.5742 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

वादी संख्या 3 छोटूराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 38 रकबा 5.9812 हैक्टेयर में से 4.5635 हैक्टेयर (28.19 बीघा) उतरी हिस्सा माफिक नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 70 रकबा 5.5442 हैक्टेयर में से रकबा 3.0806 हैक्टेयर (19.03 बीघा) उतरी हिस्सा माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

प्रतिवादी संख्या 2 पृथ्वीराज के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 71 रकबा 4.0469 हैक्टेयर पूरा, 38 रकबा 5.9812 हैक्टेयर (28.19 बीघा) में से 1.4177 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा माफिक नजरीनक्शानुसार तथा खसरा नंबर 70 रकबा 5.5442 हैक्टेयर में से रकबा 2.4638 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा माफिक नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

प्रतिवादी संख्या 1 खेमाराम के हक बंट कब्जे काश्त में मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नंबर 64/457 रखा गया है जो प्रतिवादी खेमाराम की पत्नी एवं वादीगण की माता चेनी देवी के नाम से खातेदारी दर्ज है जो यथावत रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 08/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 08/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner